IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 222 OF 2026

IN THE MATTER OF:
NARENDER SIROHI **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. **RESPONDENT**

INDEX

S.No	Particulars	Page No.
1.	Reply on behalf of Respondent No.4-District Magistrate, Mathura along with supporting affidavit.	1-5
2.	**ANNEXURE-P/1-** True copy of the Letter dated 29.04.2026	6
3.	**ANNEXURE-P/2-** True copy of the Letter dated 30.05.2026	7-10
4.	**ANNEXURE-P/3 (Colly)-** True copy of the Show-Cause Letter dated 16.07.2026	11-23
5.	**ANNEXURE-P/4-** True copy of letter dated 27.04.2026	24
6.	**ANNEXURE-P/5-** True copy of letter dated 11.05.2026	25-26
7.	**ANNEXURE-P/6-** True copy of letter dated 17.07.2026 sent to Power Corporation Ltd. and to Chief Fire Officer and to SSP Office	27-28

THROUGH

Date:22/**07/2026**

Priyanka

Place: New Delhi

Priyanka Swami
Advocate
Standing Counsel For State of U.P
F-13, Jangpura, New Delhi
110014
adypriyankaswami@gmail.com

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 222 OF 2026

IN THE MATTER OF:

NARENDER SIROHI **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. **RESPONDENT**

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT No.4- DISTRICT MAGISTRATE, MATHURA ALONG WITH SUPPORTING AFFIDAVIT

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, **Pankaj Kumar Verma**, aged about **44** years S/o **Shri Shiv Ram Verma**, presently posted as **Additional District Magistrate, Mathura** do hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

1. That the Answering Respondent is posted as above and is well conversant with the facts and circumstances of the case and as such is competent to swear this affidavit as authorized by the District Magistrate, Mathura.
2. That the present additional reply is being filed in compliance with Order dated 09.04.2026 passed by this Hon'ble Tribunal in the present matter whereby notice was issued to the answering Respodnent.
3. That in the present application, the applicant has alleged that the respondent nos. 11 to 108 are illegally operating in District-Mathura, UP without necessary environmental permissions and that these respondents do not have the CTE & CTO and they are discharging untreated effluent into the open land and public sewerage system which is causing serious environmental hazardous. The applicant has

NOTARY Ramvir Singh Advocate, Mathura Regn. No. 3752/06 GOVT. OF INDIA

NOTARIAL

NOTARIAL STAMP Ramvir Singh Advocate Notary Distt. Court Mathura

further alleged that these establishments are operating without installation of pollution control mechanism such as oils and grease traps and they do not have any effluent treatment plant and they are contaminating soil and ground water and also contributing to the pollution in river Yamuna.

4. That in compliance with the above-said Order, it is submitted that a total of 98 establishments have been issued notices vide letter No. 104/O-132/2026 dated 29.04.2026 of the Regional Office, UP Pollution Control Board, Mathura, regarding obtaining consent for installing pollution control systems in the establishments. **True copy of letter dated 29.04.2026 is hereby annexed and marked as Annexure P/1.**

5. That in addition to the above, a total of 98 establishments has also been issued notices vide letter No. 189/O-132 dated 30.05.2026 of the Office of the District Magistrate, Mathura informing the establishments that only after obtaining consent (water and air) for gaseous emission under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and as amended and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and as amended from the State Pollution Control Board, it is mandatory to operate the establishment and send the compliance report every quarter by the establishments having consent to the Regional Office, UP Pollution Control Board, Mathura and directing that if an establishment does not get consent (water and air) for operation, then the establishment should install an effluent purification plant of adequate capacity for purification of effluent generated from the establishment and obtain consent

(water/air) from the State Board under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and to ensure that the compliance report is sent every quarter by the establishments having consent to the Regional Office, UP Pollution Control Board, Mathura, otherwise the establishment will be solely responsible for any action taken against the same. **True copy of letter dated 30.05.2026 is hereby annexed and marked as Annexure P/2.**

6. That according to information received from UP Pollution Control Board, Mathura, out of 98 establishments, a total of 14 establishments has obtained NOC/Consent from the State Pollution Control Board and consent is required to be obtained from the remaining 84 establishments.

7. That it is further submitted that currently a total of 17 establishments were inspected by the Regional Office, UP Pollution Control Board, Mathura on 15.07.2026, out of which a letter has been sent to Board Headquarters, Lucknow through the letter dated 16.07.2026 of Regional Office, UP Pollution Control Board, Mathura stating that the UPPCB office inspected the establishments and it was recommended to issue a show cause notices under Section 33 (A) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended for issuance of show cause notice to a total of 12 establishments and a total of 05 establishments were found closed at the time of inspection. Further inspection of other establishments is to be carried out. **True copy of letter dated 16.07.2026 is hereby annexed and marked as Annexure P/3 (Colly).**

8. That vide the letter no. N.G.T.-121/No.-5-2026-24Writ/2026 dated 27.04.2026 of the Joint Secretary, Government of Uttar Pradesh, a letter has been sent to the Director, Urban Bodies Directorate, Uttar Pradesh, Lucknow, District Magistrate, Mathura and Municipal Commissioner, Municipal Corporation Mathura Vrindavan, Mathura to ensure all the desired action in the above case. **True copy of letter dated 27.04.2026 is hereby annexed and marked as Annexure P/4.**

9. That the Office Director, Ground Water Department, Uttar Pradesh, vide its letter dated 11.05.2026, has sent a letter to the Nodal Officer, District Ground Water Management Complex, Mathura, regarding taking action in the matter in question. **True copy of letter dated 11.05.2026 is hereby annexed and marked as Annexure P/5.**

10. That the answering Respondent through its letter No. 357/U.P.P.N.Bo./2026 dated 17.07.2026, has sent a letter to the Superintending Engineer, Uttar Pradesh Power Corporation Ltd., Electricity Distribution Division, Mathura and Chief Fire Officer, Uttar Pradesh Fire Department, Mathura to send the details of the action taken at their level in the matter in question and through letter No. 358/U.P.P.N.Bo./2026 dated 17.07.2026, a letter has also been sent to the Senior Superintendent of Police, SSP Office, Civil Line, Mathura to provide the details of the action taken in the matter in question, the reply to which is awaited from the concerned department. **True copy of letter dated 17.07.2026 sent to Power Corporation**

NOTARY GOVT. OF INDIA Advocate, Mathura Regn. No. 3752/06

Ltd. and to Chief Fire Officer and to SSP Office is hereby annexed and marked as Annexure P/6 (Colly).

11. That the facts stated hereinabove are based upon official records, documents available in the office, and the same are being respectfully submitted before this Hon'ble Tribunal for appropriate consideration and further necessary orders as may be deemed fit in the interest of justice and environmental compliance.

DEPONENT

VERIFICATION

I, the above-named deponent, do hereby verify that the contents of writ petition are true and correct to my knowledge and belief. Nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Mathura on this 21 day of July, 2026

NOTARY ... OF INDIA

DEPONENT

Through

Additional District Magistrate
Mathura

Ramvir Singh
Advocate Notary
Court Mathura

वेब साइट: www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांक: 104/0-132/2026 दिनांक 29/04/2026

सेवा में, **पंजीकृत/नोटिस**

सूची संलग्न (कुल–98)।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना इकाई का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–200/2014 के आदेशों के अनुपालन में होटल/संस्थान/प्रतिष्ठान/आश्रम एवं मठ आदि द्वारा बिना अशुद्धिकृत किये घरेलू उत्प्रवाह को निस्तारण नहीं किये जाने के आदेश प्राप्त हैं। अग्रेतर ओ0ए0 सं0–222/2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में प्रकरण विचाराधीन है। अग्रेतर अवगत कराना है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं यथा संशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं यथा संशोधित के अन्तर्गत गैसीय उत्सर्जन हेतु सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही प्रतिष्ठान के संचालन किये जाने की अनिवार्यता है। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके प्रतिष्ठान को सहमति प्राप्त किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र दिनांक–13.02.2026 के माध्यम से पूर्व में नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर वर्तमान तक इस कार्यालय में अप्राप्त है, जिससे परिलक्षित होता है कि आप द्वारा जानबूझकर आपकी इकाई से जनित बहिस्त्राव को बिना शुद्धिकृत किये निस्तारित किया जा रहा है, जो पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध दर्शाता है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके प्रतिष्ठान को संचालनार्थ सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त न होने की दशा में प्रतिष्ठान से जनित बहिस्त्राव के शुद्धिकृत किये जाने हेतु पर्याप्त क्षमता का एस0टी0पी0 की स्थापना करते हुए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में बिना संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये प्रतिष्ठान के संचालित होने अथवा सहमति प्राप्त होने पर सहमति की अनुपालन आख्या प्रेषित न किये जाने की दशा में आपके प्रतिष्ठान के विरूद्ध किये जाने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके स्वयं का होगा।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकॉल), मथुरा।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विद्युत वितरण खण्ड, मथुरा।
6. सीनियर जियोफिजिसिस्ट, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, जनपद–मथुरा को सूचनार्थ प्रेषित।
7. जिला पर्यटन अधिकारी, मथुरा।

क्षेत्रीय अधिकारी

Hotel Notice.E. ASO sir

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा

पत्रांक– 189/0-132/2026 दिनांकः 30/05/26

सेवा में,

सूची संलग्न (कुल–98)।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–222/2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–09.04.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–222/2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में प्रकरण विचाराधीन है। अवगत कराना है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं यथा संशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं यथा संशोधित के अन्तर्गत गैसीय उत्सर्जन हेतु सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही प्रतिष्ठान के संचालन एवं सहमति प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा अनुपालन आख्या प्रत्येक त्रैमास क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को प्रेषित किये जाने की अनिवार्यता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके प्रतिष्ठान को संचालनार्थ सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त न होने की दशा में प्रतिष्ठान से जनित बहिस्त्राव के शुद्धिकृत किये जाने हेतु पर्याप्त क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र की स्थापना करते हुए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किया जाना एवं सहमति प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा अनुपालन आख्या प्रत्येक त्रैमास क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके प्रतिष्ठान के विरूद्ध की जाने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके स्वयं का होगा।

भवदीय

(चन्द्र प्रकाश सिंह)
जिलाधिकारी
मथुरा।

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक–27.04.2026 के सम्बन्ध में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. नगर मजिस्ट्रेट, मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सीनियर जियोफिजिसिस्ट, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, जनपद–मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. जिला पर्यटन अधिकारी, मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

29.5.26
जिलाधिकारी
मथुरा।

Hotel List (CTE/CTO Granted)

S. N.	Name	Address	Actual Name	Appl. ID	Consent Validity	No. of Rooms	STP Capacity
1	Wingston A Treehouse Hotel	Opp. Rangili Mahal, Nandgaon Rd, Barsana, Mathura-281405, UttarPradesh	M/s M.R. Resort Pvt. Ltd. Hotel Wingston Barsana	ID-31869750 App. Date-22.05.2025	31.03.2030	40	02 KLD
2	The Mystic Palms	Near Mandi Samiti, Shrinathpuram Colony, NH-19, Mathura-281001, Uttar Pradesh	M/s Ashgo Resorts Pvt Ltd (The Mystic Palm), Khasra No.-298, 299, Old Khasra No.-159, 160, Village-Palikheda, Near Mandi Samiti, NH-2, Mathura	ID-37622160 App. Date-04.07.2026	31.07.2030	48 Rooms, Banquet Hall-2, Bar (Freez)-50 Seat & Restaurant (Rout-66)	25 KLD
3	The Trunk Rooftop Restaurant	4th Floor, Madhavpuri, Royal Enfield Showroom, NH-19, Mathura-281001, Uttar Pradesh	M/s K2 Hospitality, Khasra No.-228, Mauja-Maholi, Royan Enfield showroom, NH-2, Mathura	32906079 Approval Date 24.07.2025	31.07.2030	32 Rooms	20 KLD
4	Route 66 Café &Restro	Near Mandi Samiti, Naraich, NH-19, Mathura-281004, Uttar Pradesh	M/s Ashgo Resorts Pvt Ltd (The Mystic Palm), Khasra No.-298, 299, Old Khasra No.-159, 160, Village-Palikheda, Near Mandi Samiti, NH-2, Mathura	ID-37622160 App. Date-04.07.2026	31.07.2030	48 Rooms, Banquet Hall-2, Bar (Freez)-50 Seat & Restaurant (Rout-66)	25 KLD
5	Murliwala Hotel &Restaurant	Near ICICI Bank & Balaji Ashram, Raman Reiti, Vrindavan, Mathura-281121, Uttar Pradesh	M/s Murliwala Hotel & Restaurant, Khasra No.-162 (Part), Vrindavan Bangar, Mathura	37146315 Approval Date 27.05.2026	31.03.2029	16 Rooms T.C.A.-537.69 SQM	04 KLD Terminal STP
6	Heera Courtyard	NH-19,Opp. Nayati Hospital & CNGPump, Mathura-281003, Uttar Pradesh	M/s Heera Foods, Khasra No.-978, Village-Kota, NH-2, Mathura (CTE)	26971125 Approval Date 05.07.2024	30.06.2029	46 Rooms	40 KLD
7	Haldiram's	Plot No.225/18, G.F., Sonkh Road ,Radhika Vihar, Mathura-281001, Uttar Pradesh	M/s Four Brother's Hospitality (CTE)	25913990 Approval Dated 24.04.2024	30.04.2029	68 Rooms T.C.A-5854.04 SQM	50 KLD
8	The Rules Club Resort	Expressway Paani Gaon Road, Opp. Shiva Dhaba, Mathura-281204, Uttar Pradesh	M/s The Rules Club, Khasra No.-874, Mauja-Panigaon, Tehsil-Mant, Mathura (CTE)	23196372 Approval Date 12.12.2023	31.10.2028	Hotel, Restaurant & Bar-20 Rooms	10 KLD
9	The Lalita Grand Hotel	Near Veterinary Nursery, Aurangabad, Gokul Banger, Mathura-281001, Uttar Pradesh	M/s L.B. Hotel & Resaurts LLP, Khasra No.-258/1, Damodarpura, Aurangabad, Mathura	31264567	31.07.2030	40 Rooms	40 KLD
10	MD Farms & Resorts	NH-2, Near Syyad, Mathura-281003, Uttar Pradesh	Khasra No.-461, 462, 468, 444, Mauja-Charora, NH-19, Mathura (CTE)	23829006 Approval Date 30.12.2023	31.12.2028	65 Rooms	60 KLD
11	Kridha Residency	Near Prem Mandir, Vrindavan, Mathura-281121,UttarPradesh	Khasra No.-1007, Near Prem Mandir, Vrindavan, Mathura	1731031 (W) 1730462 (A)	31.12.2028	45 Rooms	05 KLD

S. N.	Name	Address	Actual Name	Appl. ID	Consent Validity	No. of Rooms	STP Capacity
12	Abhinandan Hotel	NH-19, Near Goverdhan Chauraha, Mathura-281004, Uttar Pradesh	M/s Abhinandan Hotel (A Unit of Brij Bhoomi Hotel & Resorts Pvt Ltd)	33817906 Approval Date 08.10.2025	31.07.2029	30 Rooms	02 KLD
13	Aryavilas Hotel	K2 S Spire, Royal Enfield Showroom, NH-19, Maholi, Mathura-281001, Uttar Pradesh	M/s K2 Hospitality, Khasra No.-228, Mauja-Maholi, Royal Enfield showroom, NH-2, Mathura	32906079 Approval Date 24.07.2025	31.07.2030	32 Rooms	20 KLD
14	Madhuvan Hotel	Dwarka Enclave, Krishna Nagar, Mathura-281001, Uttar Pradesh	M/s Madhuva Hotel (A Unit of Madhuvan Inn & Travels Pvt Ltd), Krishna Nagar, Mathura	37333776 Appoval Date 06.06.2026	31.03.2029	19 Rooms	05 KLD Terminal STP

Hotel List (For Show Cause)

S. N.	Name	Address
1	M/s Zoca Café	Moti Manzil, NH-2, Krishna Nagar, Mathura-281001, Uttar Pradesh
2	M/s The Foodies Bar	Shop No.17-B, Moti Manzil, Near Highway Plaza, NH-19, Mathura-281001, Uttar Pradesh
3	M/s Veg Grill (The Hangout Café)	Krishna Nagar, NH-19, Near Goverdhan Chauraha, Mathura-281004, Uttar Pradesh
4	M/s Basera Restaurant & Hotel	141/6, NH-19, Shri Radha Puram, Mathura-281001, Uttar Pradesh
5	M/s Agrawal Restaurant	Near Maheshwari Hospital, NH-19, Mathura-281003, Uttar Pradesh
6	M/s Jeetu Dhaba	NH 19, Near Nayati Hospital Mathura-281001, Uttar Pradesh
7	M/s Radhe Krishna Dhaba	Near Rajiv Academy, NH-19, Mathura-281003, Uttar Pradesh
8	M/s Madhav Food Caters (Shri Banke Bihari Family Dhaba)	Near Rajiv Academy, NH-19, Mathura-281003, Uttar Pradesh
9	M/s Sagar Ratna	Omaxe Eternity, Chatikara, Mathura-281121, Uttar Pradesh
10	M/s The Lounge	Omaxe Eternity, Chatikara, Mathura-281121, Uttar Pradesh
11	M/s MD Farms & Resorts	NH-2, Near Syyad, Mathura-281003, Uttar Pradesh
12	M/s Tulip Resorts	Masani Road, Gaur kendra, Mathura-281003, Uttar Pradesh

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 344/0-132/2026 दिनांक/Date 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–मथुरा में स्थापित/संचालित कुल–98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–222/2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में **मै0 द फूडीज बार, शॉप सं0–17–बी, मोती मंजिल, हाईवे प्लाजा, एन0एच0–19, जनपद–मथुरा** का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक–15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत **मै0 द फूडीज बार, शॉप सं0–17–बी, मोती मंजिल, हाईवे प्लाजा, एन0एच0–19, जनपद–मथुरा** के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

E.ASO.O.A. No.-222/2026 Narendra Sirohi (Hotel)

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 348/0-132/2026 **दिनांक**/Date 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–मथुरा में स्थापित/संचालित कुल–98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–222/2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में **मै0 जीतू ढाबा, एन0एच0–19, नियर नयति हॉस्पीटल, जनपद–मथुरा** का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक–15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत **मै0 जीतू ढाबा, एन0एच0–19, नियर नयति हॉस्पीटल, जनपद–मथुरा** के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।
REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 349/0-132/2026 दिनांक/Date 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–मथुरा में स्थापित/संचालित कुल–98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–222/2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में **मै0 राधे कृष्णा ढाबा, नियर राजीव अकेडमी, एन0एच0–19, जनपद–मथुरा** का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक–15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत **मै0 राधे कृष्णा ढाबा, नियर राजीव अकेडमी, एन0एच0–19, जनपद–मथुरा** के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।
REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 350/0-132/2026 दिनांक/Date 16/7/26

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–मथुरा में स्थापित/संचालित कुल–98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–222/2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में **मै0 माधव फूड सेन्टर (श्री बांके बिहारी फैमिली ढाबा), नियर राजीव अकेडमी, एन0एच0–19, जनपद–मथुरा** का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक–15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत **मै0 माधव फूड सेन्टर (श्री बांके बिहारी फैमिली ढाबा), नियर राजीव अकेडमी, एन0एच0–19, जनपद–मथुरा** के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 351/O-132/2026 **दिनांक**/Date 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–मथुरा में स्थापित/संचालित कुल–98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–222/2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में **मै0 सागर रत्ना, ऑमैक्स इटरनिटी, छटीकरा, जनपद–मथुरा** का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक–15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत **मै0 सागर रत्ना, ऑमैक्स इटरनिटी, छटीकरा, जनपद–मथुरा** के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।
REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ सं./Ref.No. 352/0-132/2026 **दिनांक**/Date 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–मथुरा में स्थापित/संचालित कुल–98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–222/2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में **मै0 द लॉंज, ऑमैक्स इटरनिटी, छटीकरा, जनपद–मथुरा** का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक–15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत **मै0 द लॉंज, ऑमैक्स इटरनिटी, छटीकरा, जनपद–मथुरा** के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।
REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 353/0-132/2026 दिनांक/Date 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–मथुरा में स्थापित/संचालित कुल–98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैंक्वेट हॉल/मोटल्स के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–222/2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में **मै0 एम0डी0 फार्म्स एण्ड रिजोर्ट्स, एन0एच0–2, नियर सैयद, जनपद–मथुरा** का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक–15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत **मै0 एम0डी0 फार्म्स एण्ड रिजोर्ट्स, एन0एच0–2, नियर सैयद, जनपद–मथुरा** के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।
REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 354/0-132/2026 दिनांक/Date 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–मथुरा में स्थापित/संचालित कुल–98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–222/2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में **मै0 ट्यूलिप रिजोर्ट्स, मसानी रोड, गौर केन्द्र, जनपद–मथुरा** का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक–15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत **मै0 ट्यूलिप रिजोर्ट्स, मसानी रोड, गौर केन्द्र, जनपद–मथुरा** के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

E.ASO.O.A. No.-222/2026 Narendra Sirohi (Hotel)

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।
REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 343/0-132/2026 **दिनांक**/Date 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–मथुरा में स्थापित/संचालित कुल–98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–222/2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में **मै0 जोका कैफे, मोती मंजिल, एन0एच0–2, कृष्णा नगर, जनपद–मथुरा** का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक–15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत **मै0 जोका कैफे, मोती मंजिल, एन0एच0–2, कृष्णा नगर, जनपद–मथुरा** के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।
REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 345/O-132/2026 दिनांक/Date 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–मथुरा में स्थापित/संचालित कुल–98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–222/2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में **मै0 वेज ग्रिल (द हैंगआउट कैफे), कृष्णा नगर, एन0एच0–19, नियर गोवर्धन चौराहा, जनपद–मथुरा** का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक–15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत **मै0 वेज ग्रिल (द हैंगआउट कैफे), कृष्णा नगर, एन0एच0–19, नियर गोवर्धन चौराहा, जनपद–मथुरा** के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।
REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 346/0-132/2026 दिनांक/Date 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–मथुरा में स्थापित/संचालित कुल–98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–222/2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में **मै0 बसेरा रेस्टोरेंट एण्ड हॉटल, 141/6, एन0एच0–19, श्री राधापुरम, जनपद–मथुरा** का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक–15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत **मै0 वेज ग्रिल (द हैंगआउट कैफे), कृष्णा नगर, एन0एच0–19, नियर गोवर्धन चौराहा, जनपद–मथुरा** के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।
REGIONAL OFFICE,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, MATHURA

संदर्भ सं./Ref.No. 347/0-132/2026 **दिनांक**/Date. 16/7/2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–मथुरा में स्थापित/संचालित कुल–98 होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट/बैक्वेट हॉल/मोटल्स के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–222/2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य विचाराधीन है। तत्क्रम में **मै0 अग्रवाल रेस्टोरेन्ट, नियर माहेश्वरी हॉस्पीटल, एन0एच0–19, जनपद–मथुरा** का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक–15.07.2026 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। उक्त प्रतिष्ठान द्वारा वर्तमान में बिना शुद्धिकृत किये सीवेज/बहिस्त्राव का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत **मै0 अग्रवाल रेस्टोरेन्ट, नियर माहेश्वरी हॉस्पीटल, एन0एच0–19, जनपद–मथुरा** के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

Hotel List (Closed)

S. N.	Name	Address
1	The Mansion Court Yard	JaisinghPura,NH-19,Vrindavan, Mathura-281121, Uttar Pradesh
2	Spice Symphony	Near Aggarwal Restaurant, Pushpa Hotel, NH-19, Mathura-281003, Uttar Pradesh
3	Moti Mahal Deluxe, Vrindavan	Omaxe Eternity, Chatikara, Mathura-281121, Uttar Pradesh
4	Mumbai Chaupati	NH-19, Near Highway Plaza, Mandi Bypass, Mathura-281001, Uttar Pradesh
5	Fox Fire Roof Top Café	City Center Mall, Radhika Vihar, Mathura-281004, Uttar Pradesh

समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्या:–एन0जी0टी0–121 / नौ–5–2026–24रिट / 2026

प्रेषक,

देवेश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1–निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2–जिलाधिकारी, मथुरा।
3–नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन।

नगर विकास अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांकः 27 अप्रैल, 2026**

विषयः मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–222 / 2026 Narender Sirohi Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–222 / 2026 Narender Sirohi Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। **प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 24.07.2026 को नियत है।**

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही ससमय सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन के मेल आई0 डी0–so.nagar.05@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव व्यक्तिगत ध्यान / शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपिः श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

Arun Sir GO-VC

JPGWD-ESTB0NGT/10/2026-ESTB-UPGWD

RO PCB
नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

D.M./COLLECTOR MATHURA

कोर्ट केस / एन0जी0टी0 / महत्वपूर्ण।
ई-मेल के माध्यम से

कार्यालय निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश
भूजल भवन (रा0भू0सू0प्र0के0),
हरिहरपुर, शहीद पथ, लखनऊ।

संख्या– 141 / भू०ज०वि० / एस–26(एन०जी०टी०) दिनांक / लखनऊ / मई 11 2026

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–222/2026 **Narender Sirohi Vs State of Uttar Pradesh & Ors.** में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, जनपद–मथुरा।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–**222/2026 Narender Sirohi Vs State of Uttar Pradesh & Ors.** मे पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 के अनुक्रम मे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली द्वारा प्रवक्ता दिप्त अनुभूति, ऑफिस प्रवक्ता प्रियंका स्वामी, स्टैंडिग कॉन्सलिंग, उ0प्र0 (एनजीटी) के माध्यम से ई–मेल के द्वारा दिनांक 10.04.2026 को नोटिस प्रेषित की गयी है (मय सलग्नको सहित छायाप्रति संलग्न), का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमे वादी द्वारा जनपद मथुरा मे संचालित संस्थानों पर निम्नानुसार "Respondent nos. 11 to 108 are illegally operating in District-Mathura, UP without necessary environmental permissions. These respondents do not have the CTE & CTO and they are discharging untreated effluent into the open land and public sewerage system which is causing serious environmental hazardous. These establishments are operating without installation of pollution control mechanism such as oils and grease traps and they do not have any effluent treatment plant and they are contaminating soil and ground water and also contributing to the pollution in river Yamuna. आरोप लगाते हुए वाद / मूल आवेदन–222 / 2026 दाखिल किया गया है। प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा दिनांक 09.04.2026 को आदेश पारित किये गये है, जिसके प्रभावी अंश निम्नवत् है–

"...... 4. Learned counsel for the applicant has referred to the RTI application (Annexure-A1) dated 06.11.2025 wherein, an information was sought about the units operating without valid consent in last three years.

5. He submits that in the reply the UPPCB on 17.02.2026 has admitted that the notices were issued to the hotels, restaurants and dhabas which were operating without the requisite consent and permissions.

6. He further submits that the communication dated 21.01.2026 by the Nodal Officer District Ground Water Management Council, Janpath, Mathura, reveals that the NOC has been given to only 306 establishments that means the other establishments in the area are operating without necessary ground water permission.

7. He also submits that the complaint along with the list of such illegally operating units was submitted to the UPPCB on 28.01.2026 (Annexure- A5) but no action has been taken.

8. Further submission of counsel for the applicant is that the CPCB has framed the guidelines for Control of Pollution and Enforcement of Environment Norms at individual establishments under area/cluster of restaurants/hotels/motels/banquette etc. (Annexure-A7) but none of the norms prescribed by the CPCB have been followed by private respondent.

9. He has further placed reliance upon the order of the Tribunal dated 08.01.2026 passed in original application no. 203/2023 in the matter of Tushar Goswami Vs. Union of India & Ors. and dated 17.08.2022 in original application no. 26/2019 the matter of Abhay Dahiya & Ors. Vs. State of Haryana.

10. The OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.

11. Issue notice, learned counsel Ms. Priyanka Swami accepts notice on behalf of respondent nos. 1, 3, 4, 8, 9 & 10 and seeks four weeks' time to file the reply.

12. The applicant is directed to serve the other respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

13. List on 24.07.2026."

प्रस्तुत उक्त ओ0ए0 संख्या 222 / 2026 मे सभी प्रतिवादियों मे विपक्षी पार्टी संख्या–03 के रुप मे निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 को रखा गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली द्वारा प्रेषित उक्त विधिक नोटिस, जिसके साथ मूल आवेदन का सार संलग्न करते हुए अपेक्षा की गयी है कि मूल आवेदन में लगाये गये आरोपों / तथ्यों की जॉच करते हुए सम्बन्धित वाद के सापेक्ष प्रस्तरवार विभागीय प्रतिउत्तर तैयार करते हुए वाद मे अगामी सुनवाई दिनांक 24.07.2026 से पूर्व प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाए।

UPGWD-ESTB0NGT/10/2026-ESTB-UPGWD 1/585005

अतएव उपरोक्त विषयांकित वाद मे आपको विपक्षी पार्टी संख्या–3, निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 की ओर से विभागीय प्रतिनिधि नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 09.04.2026 के साथ सलग्न मूल प्रत्यावेदन में की गयी शिकायत के कम में लगाये गये आरोपों/तथ्यो की जाँच करते हुए सम्बन्धित वाद के सापेक्ष प्रस्तरवार विभागीय मंतव्य/पैरावाईस नैरेटिव/शपथ पत्र तैयार करते हुए मा0 अधिकरण के सम्मुख ससमय उपस्थित होते हुए प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का अनुपालन किया जा सके, अन्यथा की दशा मे मा0 अधिकरण द्वारा पारित किसी भी विपरीत आदेश हेतु आप उत्तरदायी होंगे।

ज्ञातव्य हो कि उक्त वाद में **अगामी सुनवाई दिनांक 24.07.2026** को नियत की गयी है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

/

(अनुपम)
अधिशासी अभियंता/
वै0सहा0(निदेशक)।

संख्या–141 (I)/भू0ज0वि0/एस–26(एन०जी०टी०)/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
4. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. आयुक्त, नगर निगम, मथुरा–वृंदावन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद जनपद–मथुरा।
7. मुख्य अभियंता, लघु सिचांई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, जियोफि0 सर्वे खण्ड–आगरा।

Digitally signed by ANUPAM
Date: 11-05-2026 10:48:33

(अनुपम)
अधिशासी अभियंता/
वै0सहा0(निदेशक)।

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE MATHURA

पत्रांक— 357 / उ0प्र0प्र0नि0बो0 / 2026 दिनांकः 17 / 07 / 2026

सेवा में,

1. अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, मथुरा।
2. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, अग्नि शमन विभाग, मथुरा।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0—222 / 2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक—09.04.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0—222 / 2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक—09.04.2026 की प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में अपने विभाग से सम्बन्धित की गयी कार्यवाही का विवरण प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) /
नोडल अधिकारी मा0 एन0जी0टी0
मथुरा। o/c

पत्र प्राप्त किया
वि0वि0खं0 मथुरा
17/07/2026
9412748206

DM Sir Office order.D

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE MATHURA

पत्रांक– 358/उ0प्र0प्र0नि0बो0/2026 दिनांकः 17/07/2026

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
एस0एस0पी0 कार्यालय,
सिविल लाइन, मथुरा।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–222/2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–09.04.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–222/2026 नरेन्द्र सिरोही बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–09.04.2026 की प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में अपने विभाग से सम्बन्धित की गयी कार्यवाही का विवरण प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/
नोडल अधिकारी मा0 एन0जी0टी0,
मथुरा। o/c

17/7/26

DM Sir Office order.D